पत्रांक : 14/व1–41/2023.......866........./

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

के० रवि कुमार,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त
झारखंड।

सभी जिला शिक्षा अधीक्षक,
झारखंड।

राँची, दिनांक 14/11/2023

विषय :– राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु मार्गदर्शन से संबंधित आपत्तियों के निराकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय आदेशानुसार राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति के निमित्त उठाए गए विभिन्न बिन्दुओं पर निदेशालीय पत्रांक 770 (विधि) दिनांक 05.10.2023 द्वारा मार्गदर्शन दिया गया था।

निदेशालीय पत्रांक 770 (विधि) दिनांक 05.10.2023 के क्रम में कतिपय आपत्तियाँ प्राप्त हो रही थी, जिसके निष्पादन के लिए प्रोन्नति हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 30.10.2023 को आहूत की गई।

अतएव उक्त बैठक में लिये गये निर्णय/विभागीय कार्यवाही की प्रति अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यार्थ भेजी जा रही है

विश्वासभाजन,

अनु0–यथोक्त।

(के० रवि कुमार)
सरकार के सचिव।

Rajesh

Scanned with OKEN Scanner

Annexure - 1/2

राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु विभागीय पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शन के संबंध में विभिन्न शिक्षक संगठनों/प्रतिनिधियों से प्राप्त आपत्तियों का विचारोपरांत निराकरण।

प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन हेतु विभागीय सचिव की अध्यक्षता में दिनांक 30.10.2023 को एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, पलामू एवं प्रोन्नति हेतु गठित समिति के प्रभारी पदाधिकारी सम्मिलित हुए। विभिन्न शिक्षक संगठनों के द्वारा विभागीय पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023 के जिन बिन्दुओं पर आपत्ति उठाई गई है, उनके संबंध में बैठक में विचारोपरांत सर्वसम्मतिपूर्वक लिया गया निर्णय निम्नांकित है –

(1) झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ (निबंधन संख्या- 42/2001-02) –

संगठन के माध्यम से कार्यालय को कुल 03 आवेदन पत्र (पत्रांक 43 दिनांक 19.10.2023, पत्रांक 44 दिनांक 19.10.2023 एवं पत्रांक 0 दिनांक 15.10.2023) प्राप्त हुए, जिसका सारांश निम्नवत् है –

सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 619(विधि) दिनांक 26.08.2021 के आलोक में ग्रेड-3, 4 एवं 7 में अहर्ताधारी शिक्षकों को पद उपलब्धता की तिथि से वैचारिक रूप से प्रोन्नति देने के आदेश दिया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड के द्वारा भी W.P.(S)4115/2021 में पारित न्यायादेश में इसे सही ठहराया गया। निदेशालीय पत्रांक 714(विधि) दिनांक 29.08.2023 के द्वारा भी वाद संख्या 4115 /2021 में पारित न्यायादेश के आलोक में शिक्षको को ग्रेड-4 एवं 7 में अगली प्रोन्नति देने का आदेश दिया गया है।

सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10. 2023 के आलोक में राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों का विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति निमित मार्गदर्शन दिया गया हैं वह शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 1993, विभागीय पत्रांक 619(विधि) दिनांक 26.08.2021 तथा वाद संख्या 4115/2021 के पारित न्यायादेश के प्रतिकुल है। इससे वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षक पूर्व से नियुक्त शिक्षक से वरीय हो जायेंगे जो सामाजिक न्याय के विरूद्ध है। वर्ष 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों के लिए प्रोन्नति नियमावली बनी ही नहीं है।

....

निर्णय –

(A) विभागीय पत्रांक 619(विधि) दिनांक 26.08.2021 द्वारा निर्गत आदेश, माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा W.P.(S) No. 7392/2017, नंदकिशोर नायक एवं अन्य बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य वाद में दिनांक 26.09.2018 को पारित आदेश के आलोक में पारित किया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.09.2018 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा विभागीय संकल्प सं. 3027 दिनांक 14.12.2015 के आलोक में उन्हें स्वीकृत ग्रेड-1 एवं ग्रेड-2 में प्रोन्नति की तिथि से उसका आर्थिक लाभ दिये जाने के आदेश हेतु दायर किया गया था, जो निम्नांकित से स्पष्ट है –

1. "The petitioners have approached this Hon'ble Court with a prayer for direction upon the respondents to pay them monetary benefits upon grant of Grade-I from the date of appointment and further Grade-II, as per the decision of

Scanned with OKEN Scanner

the Hon'ble Court, passed in W.P.(S)No.638 of 2006 (Arun Sinha & ors. vs. the State of Jharkhand & ors.) which has been affirmed in L.P.A.No.214 of 2008 and analogous cases and also up to the Hon'ble Supreme Court and in compliance of said judgment, the circular of the Govt. vide memo No.3027 dated 14.12.2015 issued by the Directorate of School Education & Literacy, Govt. of Jharkhand, as the promotion in Grade II has already been granted vide Memo No.1683 dated 15.05.2017."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में भी एतद् विषयक आदेश पारित किया गया है, जो निम्नांकित से स्पष्ट है –

*5. .... **As such, respondent No.4 is directed to take a uniform decision in case of teachers for granting the benefits of Grade-I Scale** keeping into account the decision of this Hon'ble Court in case of "Arun Sinha & Ors. vs. the State of Jharkhand & Ors., passed in W.P.(S)No.638 of 2006 which was affirmed upto the Hon'ble Apex Court and in view of the fact that State has already come-out with a resolution No.3027 dated 14.12.2015. Needless to say that if the petitioners are granted promotion and thus entitled for monetary benefits also and accordingly are entitled for the benefits as prayed for, in view of decision of the Hon'ble Apex Court and in view of resolution dated 14.12.2015."*

स्पष्टतः संबंधित वाद, वादीगण को ग्रेड–I एवं ग्रेड– II दिए जाने की तिथि से, उसका वेतनमान् एवं वेतन, दिए जाने हेतु दायर किया गया था, परंतु उक्त विभागीय आदेश की कंडिका–(i) एवं (ii) को छोड़कर, शेष कंडिकाओं में वैचारिक रूप से पद प्रोन्नति, आदि दिए जाने के संबंध में भी आदेश पारित है, जिसका लाभ अनुमान्यता एवं नियमावली के आधार पर, अधिकतम् संबंधित वाद के वादीगण तक ही सीमित हो सकता है। यह विभागीय अधिसूचना अथवा संकल्प नहीं है।

(B) **माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची में दायर W.P.(S) No. 4115/2021 एवं** अन्य संलग्न वाद में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष निम्नांकित प्रार्थना की गयी थी –

"3. In W.P.(S) No. 4115 of 2021, petitioner No.1 is an Association of Trained Graduate Teachers, who were appointed in the year 2015 onwards. Petitioner No.2 was appointed in the year 2016. They have thrown challenge to the decision contained in Memo No. 619 (Vidhi) dated 26.8.2021 issued by Joint Secretary to the Government, School Education and Literacy Department, Govt. of Jharkhand, in particular para 3(i) and (vi), whereby, a decision has been taken for giving promotion to the teachers who are working in Grade-3, 4 and 7 on notional basis. A further prayer has been made to direct the respondents to prepare the seniority list of Grade-IV teachers as per Bihar (now Jharkhand) Taken over Elementary School Teachers' Promotion Rules, 1993.

4. In W.P.(S) No. 3365 of 2020, the petitioners have prayed for quashing of Memo No. 6255 dated 28.12.2016, whereby many teachers including private respondents were granted promotion to Grade-IV with retrospective effect from 1.4.2015. Further, prayer has been made to quash the decision contained in Memo No. 619 dated 26.8.2021, which is the main prayer of lead case in W.P.(S) No. 4115 of 2021.

5. In W.P.(S) Nos. 1338 of 2015, 2355 of 2015, 4846 of 2015 and 2964 of 2015, the petitioners have prayed for a direction upon the respondent-State to grant Grade-IV and / or Grade-VII to the petitioners with effect from the date of their entitlement or with effect from the date when their juniors were promoted to such Grades. In W.P.(S) No. 1338 of 2015, a further prayer has been made to quash

Scanned with OKEN Scanner

the decision dated 24.9.2014, whereby the petitioners have been left out while promoting the juniors to the petitioners in Grade-VII.

6. In W.P.(S) Nos. 1889 of 2022 and 1892 of 2022, the petitioners are seeking direction upon the respondent-State to grant promotion to Grade-VII with effect from the date of their entitlement along with other consequential benefits.

7. In W.P.(S) Nos. 4182 of 2022 and 4186 of 2022, the petitioners have prayed for a direction upon the respondents to consider their cases for promotion to Grade-VII with effect from the date of their entitlement or when the juniors to them have been promoted to Grade-VII. Petitioners have further prayed for quashing of office order contained in memo no. 1671 dated 25.7.2017, whereby, petitioners were promoted to Grade-IV with effect from 1.4.2016, when the juniors to them have been granted promotion to Grade-IV with effect 1.4.2012."

उक्त ***W.P.(S) No. 4115/2021*** एवं अन्य संलग्न वाद मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2023 को पारित आदेश में *Finding* एवं *Conclusion* निम्नांकित है –

Finding

27. ....

28. The contention of learned senior counsel appearing for the petitioners that no retrospective promotion is permissible has no legs to stand, in view of the facts and situation of the present case. In a case where the vacancy is available and the employee / teachers are having the requisite qualification and Kalawadi / qualifying period of service, they are entitled for promotion from the date of such entitlement. In the present case, the delay was caused at the instance of the State. The teachers, therefore, who were entitled for such promotion cannot be allowed to suffer. Therefore, the State of Jharkhand has taken a conscious policy decision to grant such promotion in compliance of the various judgments of this Court.

29. This Court is of the view that the impugned decision has been taken in accordance with the rules, referred to herein above, as also in view of various judgments of this Court, as affirmed by the Hon'ble Supreme Court of India. Admittedly, the members of petitioner no.1 and petitioner no.2 personally were appointed much after the interveners and similarly situated teachers. Earlier there was no concept of direct appointment of teachers in Grade-IV when the interveners were appointed. The concept of appointment of teachers for classes 6 to 8 (i.e. Grade-IV) came only after enactment of Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009. Merely because the appointment of teachers in the year 2015 onwards, the case of those who were already in service right from 1994 onwards cannot be allowed to suffer. Their services are governed strictly in terms of the aforesaid Promotion Rules, 1993, which is effective from 1.1.1986 itself. Therefore, when the decision has been taken by the State of Jharkhand to promote such teachers with effect from the date of their entitlements, there is nothing wrong on the part of the State. Even otherwise, much delay was caused in the matter of grant of promotion to one or other employees in the State of Jharkhand because of complete ban vide order dated 24.12.2020. Ultimately, the matter came before this Court and such decision of the State of Jharkhand was quashed. The judgment is reported in the case of Ashok Kumar Singh Vs. State of Jharkhand & Ors., (2022) 1 JBCJ 662 (HC) : (2022) 1 JLJR 641 (HC). The State, therefore, has decided to grant promotion in accordance with the Rules and such decision is perfectly in accordance with law.

Scanned with OKEN Scanner

30. *As has been rightly argued by learned counsel for the State and the interveners that members of petitioner no.1 and petitioner no.2 personally were appointed in the quota of 50% of direct recruitment. The interveners and similarly situated teachers, who were in a different channel of promotion, were promoted in terms of the said Promotion Rules, 1993. The petitioners have not been able to make out a case for interference by this Court. In fact, when the writ petition was preferred, the petitioners should have impleaded the persons / teachers going to be affected by any order to be passed by this Court. However, the writ petition was preferred without impleading such persons going to be affected as party respondents. After an exhaustive counter affidavit is filed by the State of Jharkhand and the interveners have intervened in the matter, the full facts came to the notice of this Court.*

31. *The argument, as has been advanced by learned senior counsel for the petitioners that the impugned decision is contrary to the said Promotion Rules, 1993, but nothing has been pointed out as to how the impugned decision is contrary and as to which particular Rule of the said Promotion Rules, 1993, has been violated. Therefore, the Court holds that the argument advanced by the learned senior counsel for the petitioners has no legs to stand in the present case."*

Conclusion

W.P.(S) Nos. 4115 of 2021 & 3365 of 2020

As a squitter to the aforesaid rules, regulations, guidelines and judicial pronouncements, the writ petitions are devoid of any merit and hence, the same are hereby dismissed.

*The interim order dated 12.05.2022 passed in W.P.(S) No. 4115 of 2021 and interim order dated 1.12.2020 passed in W.P.(S) No. 3365 of 2022 stand vacated. **The State is free to abide by the impugned decision and grant promotion to the teachers entitled under the law.***

W.P.(S) Nos. 1338, 2355, 4846, 2964 of 2015, and 1889, 1892, 4182 and 4186 of 2022.

34. *In view of the fact that lead case, being W.P.(S) No. 4115 of 2021 along with W.P.(S) No. 3365 of 2020 has been dismissed and it has been held that decision of the State dated 26.8.2021 needs no interference, **these writ petitions are allowed with a direction to the respondent-State to consider the cases of one or other teachers including the writ petitioners for grant of promotion in Grade-IV/Grade-VII and further promotion in accordance with law and the law laid down by this Court, as above."***

(C) **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा *W.P.(S) No. 4115/2021* एवं अन्य संलग्न वाद में दिनांक 26.07.2023 को पारित आदेश का Conclusion निम्नांकित है –**

- *(i)* ***The State is free to abide by the impugned decision and grant promotion to the teachers entitled under the law.***
- *(ii)* ***These writ petitions are allowed with a direction to the respondent-State to consider the cases of one or other teachers including the writ petitioners for grant of promotion in Grade-IV / Grade-VII and further promotion in accordance with law and the law laid down by this Court, as above.***

(D) **विभागीय पत्रांक 770/विधि दिनांक 05.10.2023 द्वारा निर्गत मार्गदर्शन में प्रोन्नति नियमावली, 1993 तथा वित्त विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के निदेश एवं माननीय उच्च न्यायलय, झारखण्ड, रांची**

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा W.P.(S) No. 4115/2021 एवं अन्य संलग्न वाद में दिनांक 26.07.2023 को पारित आदेश के Conclusion के Substantial अनुपालन को दृष्टिपथ में रखते हुए कंडिका-1(iv), (v), (vi) एवं (vii) में स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है, जो स्वतः स्पष्ट है।

(E) स्पष्टतः विभागीय पत्रांक 770/विधि दिनांक 05.10.2023 द्वारा निर्गत मार्गदर्शन एवं माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा W.P.(S) No. 4115/2021 एवं अन्य संलग्न वाद में दिनांक 26.07.2023 को पारित आदेश के Conclusion में कोई विरोधाभास नहीं है। यह माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पवन प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम् रिवन सिंह एवं अन्य ((2011) 3 SCC 267) तथा अन्य समरूप वाद में पारित निम्नांकित विभिन्न आदेशों से भी स्पष्ट है -

(i) माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा पवन प्रताप सिंह एवं अन्य बनाम् रिवन सिंह एवं अन्य ((2011) 3 SCC 267) वाद में आदेश पारित किया गया है कि -

45. ....

(ii) *Inter se seniority in a particular service has to be determined as per the service rules. The date of entry in a particular service or the date of substantive appointment is the safest criterion for fixing seniority inter se between one officer or the other or between one group of officers and the other recruited from different sources. Any departure therefrom in the statutory rules, executive instructions or otherwise must be consistent with the requirements of Articles 14 and 16 of the Constitution.*

(iii) *Ordinarily, notional seniority may not be granted from the backdate and if it is done, it must be based on objective considerations and on a valid classification and must be traceable to the statutory rules.*

(iv) ***The seniority cannot be reckoned from the date of occurrence of the vacancy and cannot be given retrospectively unless it is so expressly provided by the relevant service rules.*** *It is so because seniority cannot be given on retrospective basis when an employee has not even been borne in the cadre and by doing so it may adversely affect the employees who have been appointed validly in the meantime."*

स्पष्टतः माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा उपर्युक्त वाद में स्पष्ट किया गया है कि -

"the seniority cannot be reckoned from the date of occurrence of the vacancy and cannot be given retrospectively unless it is so expressly provided by the relevant service rules. It held that the seniority cannot be given on retrospective basis when an employee has not even been borne in the cadre and by doing so it may adversely affect the employees who have been appointed validly in the meantime."

(ii) माननीय उच्चतम् न्यायालय के उपर्युक्त न्यायादेश को पी. सुधाकर राव एवं अन्य बनाम् यू. गोविन्द राव एवं अन्य ((2013) 8 SCC 693) वाद में तथा पुनः सिविल अपील सं. 8324-8327/2022, अमित सिंह

Scanned with OKEN Scanner

बनाम् रविन्द्र नाथ पाण्डेय एवं अन्य आदि आदि वाद में भी पुष्ट किया गया है।

(iii) ***मानवीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा Union of India Vs K. K. Vadhera & Ors. (1989 Supp(2) SCC 625) वाद में पारित निम्नांकित आदेश से भी उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट है –***

"5:...We do not know of any law or any rule under which a promotion is to be effective from the date of creation of the promotional post ***After a post falls vacant for any reason whatsoever, a promotion to that post should be from the date the promotion is granted and not from the date on which such post falls vacant.*** *In the same way when additional posts are created, promotions to those posts can be granted only after the Assessment Board has met and made its recommendations for promotions being granted. If on the contrary, promotions are directed to become effective from the date of the creation of additional posts, then it would have the effect of giving promotions even before the Assessment Board has met and assessed the suitability of the candidates for promotion. In the circumstances, it is difficult to sustain the judgment of the Tribunal."*

(iv) ***मानवीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा Ganga Vishan Gujrati and Ors. v. State of Rajasthan, (2019) 16 SCC 28 वाद में पारित निम्नांकित आदेश से भी उपर्युक्त तथ्य स्पष्ट है –***

45. *A consistent line of precedent of this Court follows the principle that retrospective seniority cannot be granted to an employee from a date when the employee was not borne on a cadre. Seniority amongst members of the same grade has to be counted from the date of initial entry into the grade. This principle emerges from the decision of the Constitution Bench of this Court in Direct Recruit Class II Engg. Officers' Assn. v. State of Maharashtra, (1990) 2 SCC 715 . The principle was reiterated by this Court in State of Bihar v. Akhouri Sachindra Nath, 1991 Supp (1) SCC 334 and State of Uttaranchal v. Dinesh Kumar Sharma, (2007) 1 SCC 683. In Pawan Pratap Singh v. Reevan Singh, (2011) 3 SCC 267, this Court revisited the precedents on the subject and observed: (SCC pp. 281-82, para 45)*

"45. ... (i) The effective date of selection has to be understood in the context of the Service Rules under which the appointment is made. It may mean the date on which the process of selection starts with the issuance of advertisement or the factum of preparation of the select list, as the case may be.

(ii) Inter se seniority in a particular service has to be determined as per the Service Rules. The date of entry in a particular service or the date of substantive appointment is the safest criterion for fixing seniority

Scanned with OKEN Scanner

inter se between one officer or the other or between one group of officers and the other recruited from different sources. Any departure therefrom in the statutory rules, executive instructions or otherwise must be consistent with the requirements of Articles 14 and 16 of the Constitution.

(iii) *Ordinarily, notional seniority may not be granted from the backdate and if it is done, it must be based on objective considerations and on a valid classification and must be traceable to the statutory rules.*

(iv) *The seniority cannot be reckoned from the date of occurrence of the vacancy and cannot be given retrospectively unless it is so expressly provided by the relevant Service Rules. It is so because seniority cannot be given on retrospective basis when an employee has not even been borne in the cadre and by doing so it may adversely affect the employees who have been appointed validly in the meantime."*

(2) **झारखण्ड प्रदेश संयुक्त शिक्षक मोर्चा जिला- राँची जिला इकाई –**

संगठन के माध्यम से कार्यालय को कुल 02 आवेदन पत्र (पत्रांक 23/A1 दिनांक 18.10.2023 एवं पत्रांक 03 दिनांक 16.10.2023) प्राप्त हुए, जिसका सारांश निम्नवत् है –

राँची जिला अन्तर्गत कार्यरत शिक्षकों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर वाद संख्या W.P.(S)6087/2022 लंबित है। जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के द्वारा उक्त वाद में Counter Affidavit File की गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि विभाग में रिक्ति अगस्त, 2014 से उपलब्ध है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि प्रोन्नति कम से कम 01 अगस्त, 2014 से देय होगी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों से आच्छादित है। ऐसे में विभाग के द्वारा दिये गये विषयांकित दिशा-निदेश (विभागीय पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023) भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति नहीं दिये जाने के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के प्रतिकूल है एवं यह एक प्रकार से न्यायालयीय आदेशों की अवहेलना प्रतीत होती है।

शिक्षकों की प्रोन्नति भूतलक्षी प्रभाव से नहीं कहा जाय। यह भूतलक्षी प्रोन्नति नहीं है, बल्कि विभाग के द्वारा लापरवाही वश विलम्ब से दी जाने वाली प्रोन्नति है। विलम्ब से दी गई प्रोन्नति इस प्रकार है कि वर्ष 1993 शिक्षक प्रोन्नति नियमावली के अन्तर्गत विभाग को प्रत्येक वर्ष नियम -5, 6, 7, 8 के अन्तर्गत कार्य सम्पादित करना है। प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर में वरीयता सूची का निर्माण एवं प्रकाशन किया जाना है एवं अप्रैल माह में प्रत्येक वर्ष उपलब्ध रिक्ति के विरुद्ध प्रोन्नति दिया जाना है, लेकिन वर्ष 2016 में 16 वर्षों के बाद यह प्रोन्नति दी गई है। ऐसे में शिक्षकों की प्रोन्नति को बाधित करते हुए एक ही पद, एक ही स्केल में Stagnated करके रखा गया है जो कि सरासर नियम एवं विभागीय दिशा-निर्देश तथा विभिन्न न्यायादेशों के प्रतिकूल है। ऐसे में माननीय उच्च न्यायालय में दायर उपरोक्त वाद के भी प्रतिकूल यह दिशा-निर्देश प्रतीत होता है।

Scanned with OKEN Scanner

न्यायादेश *W.P.(S)4115/2021* में स्पष्ट अंकित है कि ग्रेड-7 में प्रोन्नति देने के लिए *Bihar taken over elemantary school teacher's promotion rules-1993* का प्रावधान के तहत देय है। इस नियमावली के अनुसार ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 प्रोन्नतिजन्य पद है, जिसमें ग्रेड-4 में सीधे नियुक्ति का प्रावधान ही नहीं है। 1993 नियमावली के अनुसार कक्षा 1 से 8 तक नियुक्त शिक्षकों का 8 वर्षों के पश्चात ग्रेड-4 में प्रोन्नति देने का प्रावधान है एवं ग्रेड-4 में 5 वर्षो की सतत सेवा के उपरांत ग्रेड-7 में प्रोन्नति करने का प्रावधान है। 1993 नियमावली ग्रेड-4 के शिक्षक पद में प्रोन्नति के लिए सेवा में आने एवं अनुभव के बाद दोबारा कक्षा 6 से 8 की शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने का स्पष्ट निर्देश विभाग द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शन में दिया गया है, जो 1993 नियमावली में प्रावधान ही नहीं है। अतः नवनियुक्त शिक्षक 2015-16 कक्षा 1-5 एवं कक्षा 6-8 के शिक्षकों को अलग से प्रोन्नति नियमावली बनाकर प्रोन्नति देना श्रेयस्कर होगा। 1993 नियमावली से 1994, 1999, 2000, 2003 एवं अनुकम्पा पर नियुक्त शिक्षकों को पद रिक्ति के अनुसार रिक्ति की तिथि से प्रोन्नति देते हुए अग्रेत्तर ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 में प्रोन्नति करना श्रेयस्कर होगा, अन्यथा झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश 4115/2021 का सरासर उलंघन होगा। विभागीय पत्रांक 619(विधि) दिनांक 26.08.2021 के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति को पद की उपलब्धता की तिथि से मान्य किया गया है, जबकि विभागीय पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023 द्वारा दिया गया मार्गदर्शन विभागीय आदेश (619(विधि) दिनांक 26.08.2021 जो दिनेशचन्द्र महतो के केस में विभाग, माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक हार जाने के बाद अनुपालनार्थ निर्गत है, ऐसे में दिनेशचन्द्र महतो के केस में अवमानना भी होगा।) के प्रतिकूल है। साथ ही ये प्रोन्नति नियमावली,1993 के अनुकूल नहीं है।

....

निर्णय -

उपर्युक्त कंडिका-(1) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में अंकित निर्णय से यह आपत्ति कंडिका भी पूर्णतः आच्छादित है, सिवाय झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2014 एवं 2015) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन नियुक्त इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों के मामले में कंडिका-20 में अंकित मार्गदर्शन कि उन्हें ग्रेड-04 में प्रोन्नति हेतु प्रावधानित झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित होगा, को वर्ष 1993 की प्रोन्नति नियमावली के प्रावधान के प्रतिकूल अंकित किए जाने के बिंदु से संबंधित आपत्ति बिंदु के।

माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास की खंडपीठ द्वारा रिट अपील सं. 313/2022, *The Director of School Education & Ors. Vs M. Velayutham & Anr* एवं अन्य संलग्न वाद में दिनांक 02.06.2023 को पारित आदेश में अंकित किया गया है कि दिनांक 29.07.2011 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों को भी पद प्रोन्नति के मामले में आवश्यक रूप से TET उत्तीर्ण होना होगा, इसके अभाव में वे पद प्रोन्नति हेतु योग्य नहीं होंगे, मात्र उन्हें उनके वर्त्तमान पद हेतु देय वेतन वृद्धि एवं अन्य लाभ देय होंगे, जो निम्नांकित है -

(a) ***Any teacher appointed as Secondary Grade Teacher or Graduate Teacher/BT Assistant prior to 29.07.2011 shall continue in service and also receive increments and incentives, even if they do not possess/acquire a pass in TET. At the same time, for future promotional prospects like promotion from secondary grade teacher to B.T. Assistant as well as for promotion to Headmasters, etc., irrespective of their dates of original appointment, they must***

Scanned with OKEN Scanner

necessarily possess TET, failing which they will not be eligible for promotion.

(b) *Any appointment made to the post of Secondary Grade Teacher after 29.07.2011 must necessarily possess TET.*

(c) *Any appointment made to Graduate Teacher/BT Assistant, after 29.07.2011, whether by direct recruitment or promotion from the post of Secondary Grade Teacher, or transfer, must necessarily possess TET.*

(d) *The Special Rules for the Tamil Nadu School Educational Subordinate Service issued in GO (Ms.) No.13 Sckool Education (S.E3(1)) Department dated 30.01.2020 insofar as it prescribes "a pass in Teacher Eligibility Test (TET)" only for direct recruitment for the post of BT Assistant and not for promotion thereto in Annexure-I (referred to in Rule 6) is struck down, thereby meaning that TET is mandatory/essential eligibility criterion for appointment to the post of BT Assistant even by promotion from Secondary Grade Teachers.*

(e) *The language employed in G.O. (Ms) No. 181 dated 15.11.2011 is to be read and understood to the effect that for continuance in service without promotional prospects, TET is not mandatory.*

अतएव् विभागीय पत्रांक 770/विधि दिनांक 05.10.2023 द्वारा निर्गत मार्गदर्शन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा W.P.(S) No. 4115/2021 एवं अन्य संलग्न वाद में दिनांक 26.07.2023 को पारित आदेश के Conclusion के Substantial अनुपालन को दृष्टिपथ में रखते हुए स्पष्ट मार्गदर्शन दिया गया है, जो माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश के अवलोकन से भी स्वतः स्पष्ट है।

(3) झारखण्ड राजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ, कार्यालय विद्यानगर, हरमू, राँची, निबंधन संख्या – 208/03-04 –

संगठन के माध्यम से कार्यालय को मात्र 01 आवेदन पत्र (पत्रांक 22 दिनांक 16.10.2023) प्राप्त हुआ है, जिसका सारांश निम्नवत् है –

प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली –1993 के तहत प्रारंभिक शिक्षकों की विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति हेतु नियम बने हुए हैं। माननीय उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा पारित न्यायनिदेश के तहत विभाग के स्तर से उसमें संशोधन किया गया है।

इसी क्रम में राज्यान्तर्गत कतिपय जिले के शिक्षकों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पदोन्नति तथा इसके आर्थिक लाभ प्राप्ति हेतु माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न वाद/ अवमाननावाद/एल.पी.ए. में वादी शिक्षकों को पदोन्नति एवं आर्थिक लाभ देने संबंधी न्याय निर्देश पारित होने के फलस्वरूप कतिपय मामलों में शिक्षकों को इसका लाभ देने संबंधी विभिन्न आदेश पारित हुआ। (सरकार के अवर सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (प्राथमिक शिक्षा निदेशालय) के पत्रांक 696 (विधि) दिनांक 23.08.2023 एवं तद्नुसार जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची के पत्रांक 2448 दिनांक 24.08.2023, पत्रांक 2163 दिनांक 26.07.2023 अवलोकनीय)।

माननीय उच्च न्यायालय में प्रोन्नति से संबंधित दायर वादों के निष्पादन के संबंध में राज्य के सभी उपायुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को दिये गये निदेश के

Scanned with OKEN Scanner

तहत वैचारिक सहित विभिन्न ग्रेडों में प्रोन्नति देने, मानक वरीयता सूची संधारित करने एवं वरीयता सूची का प्रकाशन प्रत्येक वर्ष नियत समय पर करने आदि के संबंध में दिशा-निर्देश निर्गत है। (विभागीय पत्रांक 936 (विधि) दिनांक 14.11.2022 एवं इस पत्र के साथ संलग्न अन्य विभागीय आदेश अवलोकनीय)।

विभागीय अधिसूचना संख्या 185, 186 एवं 187 दिनांक 01.07.2009 के द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश तथा विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार प्रोन्नति का लाभ भूतलक्षी प्रभाव से देने संबंधी आदेश निर्गत हुआ है तथा सम्प्रति इन सभी पदाधिकारियों को आर्थिक लाभ भी प्राप्त हो चुका है। (अधिसूचना संख्या 185, 186 एवं 187 दिनांक 01.07.2009 की छायाप्रति अवलोकनीय)।

प्रोन्नति नियमावली के तहत प्रत्येक वर्ष प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का निर्माण समय से नहीं किया गया तो इसमें शिक्षकगण कहा दोषी है? विभाग द्वारा नियमों का अनुपालन नहीं किया गया तो इसका सारा ठीकरा प्रारंभिक शिक्षकों पर फोड़ना कहा तक न्यायोचित है? विभागीय शिथिलता के कारण सेवा के 25-30 वर्ष बीत जाने के बावजूद शिक्षक अपने आप को उसी पायदान पर पाते है जिसपर उनकी नियुक्ति हुई थी, क्या उन्हें प्रोन्नति पद और वेतनमान के साथ भूतलक्षी प्रभाव से नहीं दिया जाना उनके मन को ठेस नहीं पहुँचायेगा? इसके अतिरिक्त इन शिक्षकों के नियुक्ति के बाद नियुक्त शिक्षक अगर इनसे वरीय माने जायेंगे या होंगे, तो इनपर क्या बीतेगी?

....

निर्णय –

उपर्युक्त कंडिका-(1) एवं (2) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में अंकित निर्णय से यह आपत्ति कंडिका भी पूर्णतः आच्छादित है।

(4) अखिल झारखण्ड प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखण्ड प्रदेश, राँची निबंधन संख्या-59/2001-02

संगठन के माध्यम से कार्यालय को कुल 05 आवेदन पत्र (पत्रांक 31 दिनांक 05.10.2023, पत्रांक 32 दिनांक 06.10.2023, पत्रांक 33 दिनांक 11.10.2023, पत्रांक 34 दिनांक 11.10.2023 एवं पत्रांक 39 दिनांक 13.10.2023) प्राप्त हुए जिसका सारांश निम्नवत् है –

विभागीय अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 31.07.2014 द्वारा स्नातक प्रशिक्षित पद के विषयवार पद सृजित किये गये, जिसमें से आधे पदों पर 2016 में सीधी नियुक्ति से शिक्षक नियुक्त कर लिये गये लेकिन प्रोन्नति से भरे जाने वाले शेष 50 प्रतिशत पदों पर प्रोन्नति अधिकांशतः अद्यतन लंबित ही है, जो पूर्व से कार्यरत शिक्षकों के विलंबित प्रोन्नति एवं वरीयता निर्धारण के राह में एक समस्या के रूप में अनायास परिलक्षित हो रही है।

समाधानात्मक प्रस्ताव/सुझाव समर्पित करते हुए उनका कहना है कि अधिसूचना संख्या 1533 दिनांक 31.07.2014 के द्वारा हुए पद सृजन को आधार मानते हुए दिनांक 31.07.2014 को कुल उपलब्ध प्रोन्नति योग्य पदों पर अहर्ताधारी शिक्षकों को दिनांक 01.08.2014 के प्रभाव से वैचारिक रूप से ग्रेड-4 और ग्रेड-7 में प्रोन्नति देकर समस्या का समाधान किया जा सकता है क्योंकि एक ही साथ सृजित पदों पर सीधी नियुक्ति का कार्य पूर्ण हो जाना और प्रोन्नति कार्य का विलंबित रहने की विषमता का सहज समाधान न्यायप्रिय रूप से हो सकता है।

Scanned with OKEN Scanner

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023 द्वारा प्राथमिक शिक्षकों के प्रोन्नति के निमित मार्गदर्शन निर्गत की गई है जिसके बिन्दु 1(iv), 2, 15, 16 और 19 में प्रोन्नति देने की तिथि को मार्गदर्शित किया गया है। जो प्रसंगाधीन न्यायनिर्णयों एवं तदनुरूप निर्गत पूर्व के आदेशों के बिल्कुल प्रतिकूल है जिसका विवरण निम्नवत् है :-

मार्गदर्शन बिन्दु 1(iv) - ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 के पदों पर कोई वैचारिक प्रोन्नति देय नहीं है।

मार्गदर्शन बिन्दु 2, 15, 16 एवं 19 – ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 के रिक्त पदों पर वर्तमान वर्ष हेतु तैयार वरीयता सूची संख्या 2 एवं 4 के आधार पर वर्तमान वर्ष की 01 अप्रैल को Cut of Date के अनुसार आरक्षण एवं वरीयता देय होगा. . . . . . ।

जबकि उक्त मार्गदर्शन विभाग द्वारा स्वीकृत/ अनुपालित न्यायनिर्णयों एवं तथ्य संबंधी आदेशों के एकदम ही प्रतिकूल एवं अप्रत्याशित है जो निम्नवत् है –

न्याय निर्णय के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश संख्या 619(विधि) दिनांक 26.08.2021 का बिन्दु (iii, v & vi). ग्रेड-3, ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 में देय नियमित प्रोन्नति संशोधित वरीयता सूची के अनुसार पद उपलब्धता की तिथि से वैचारिक रूप में प्रदान की जायेगी . . . . ।

नियमित प्रोन्नति के उपरांत सहायक शिक्षक योगदान नहीं करने की स्थिति में उनको वैचारिक प्रोन्नति देय नहीं होगी।

उक्त विभागीय आदेश को चुनौती देने वाली याचिका संख्या 4115/2021 को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा खारिज करते हुए सह-गुच्छित अन्य याचिकाओं में निम्न निर्देश पारित किये गये है –

> ***In the view of the fact that lead case being wps 4115 of 2021 along with wps 3365 of 2020 has been dismissed and it has been held that decision of the state dated 26.08.2021 needs no interferncen these writ are allowed with a decision to the respondent–state to consider the case of one or other teachers including the writ petitioner for grant of promotion in Grade-iv /grade-vii and further promotion in accordance with law and law laid down by this court.......***

उक्त याचिका/ याचिकाओं की सुनवाई के क्रम में विभाग द्वारा समर्पित पक्ष में भी शिक्षकों को वैचारिक रूप से पद उपलब्धता की तिथि से ग्रेड-4 और ग्रेड-7 में प्रोन्नति देने के विषय को तर्कपूर्ण रूप से समर्पित किया गया है (जो न्यायादेश में अंकित है)।

उक्त पारित न्यायादेश के आलोक में प्रोन्नति के निमित अग्रेतर अनुपालनात्मक कार्रवाई करने हेतु निदेशक, प्राथमिक शिक्षा का पत्रांक 714(विधि) दिनांक 29.08. 2023 भी निर्गत है।

पूर्व में भी वैचारिक रूप से पद प्रोन्नति को विभाग द्वारा मान्य एवं अनुपालित किये जाने का उदाहरण है –

प्रधान सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का पत्रांक 46 दिनांक 05.02.2020 विभागीय अधिसूचना संख्या 187, दिनांक 01.07.2009 एवं अधिसूचना संख्या 186 दिनांक 01.07.2009 निदेशक, प्राथमिक शिक्षा का पत्रांक 305(विधि) दिनांक 04.10.2017 ।

Scanned with OKEN Scanner

परन्तु उक्त के प्रतिकूल अनायास, अनापेक्षित एवं अनियमानुकूल, मार्गदर्शन पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023 निर्गत किया गया है, जो पूर्णतः समीक्षायोग्य एवं क्षान्त करने योग्य है। विभागीय मार्गदर्शन पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023 से उत्पन्न विसंगतियाँ एवं अकेतर, अवांछित परेशानियाँ- वर्ष 1988, 1994, 1999, 2004, 2009 एवं इन वर्षों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त शिक्षक 2016 में नियुक्त कक्षा 6-8 के शिक्षकों से कनीय हो जायेंगे। जबकि 2016 की शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली, 2012 के आलोक में हुई है और सेवा में वरीय उक्त वर्षों में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति पूर्व के नियमावली से हुई है, जिसमें कक्षा 6-8 के पदों पर सीधी नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं था, यह विषय भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 4115/2021 में विचारित हुआ जिसके उपरांत माननीय न्यायालय के *Finding of Court* के अन्तर्गत प्वाईंट 29 में माननीय न्यायालय का पक्ष निम्नरूपेण अंकित है -

..........the memberes of petitioner no. 1 and petitioner no. 2 personally were appointed much after the intereners and similarly sistuated teachers. Earlier there was no concept of direct appointment of teachers in Grade IV when the Interveners were appointed . The conceot of direct appointment of teachers for class 6 to 8 (i.e. Grade IV) came only after enactment of Right of children to free and compulsory Education Act 2009. Merely because the appointment of teachers in the year 2015 onwards, the case of those who were already in service right from 1994 onwords cannot be allowed to suffer.

उपरोक्त तथ्यालोक में आवेदक का कहना है कि विभागीय मार्गदर्शन पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023 के संबंधित बिन्दुओं को न्याय-निर्णयों/आदेशों के क्रम में क्षान्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की जाय।

....

निर्णय -

उपर्युक्त कंडिका-(1) एवं (2) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में अंकित निर्णय से यह आपत्ति कंडिका भी पूर्णतः आच्छादित है।

(5) <u>झारखण्ड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ, न्यू शास्त्री नगर, मधुकम रातू रोड, राँची निबंधन संख्या- 26/2001-02</u>

संगठन के माध्यम से कार्यालय को मात्र 01 आवेदन पत्र (पत्रांक 209 दिनांक 16.10.2023) प्राप्त हुआ है, जिसका सारांश निम्नवत् है -

विभागीय आदेश संख्या 619(विधि) दिनांक 26.08.2023 में स्पष्ट अंकित है कि भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देय होगा। पत्र में अंकित भूतलक्षी प्रोन्नति से संबंधित स्पष्ट तथ्य निम्नवत् अंकित किया गया है-

शिक्षकों के पारस्परिक वरीयता निर्धारण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में लगभग एक दशक तक वादों के लंबित रहने के कारण समय पर सहायक शिक्षकों की प्रोन्नति बाधित रही है, जिससे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उनके अनेक वादों में भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का न्यायादेश प्राप्त होते रहा है। *W.P.(S) No. 7779/2011*। दिनेश चन्द्र महतो बनाम् राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश को एल.पी.ए. संख्या 211/2019 एवं एस.एल.पी. संख्या 10742/2021 में रखा गया है। दिया गया मार्गदर्शन नियमानुकूल एवं विधिसम्मत नहीं है तथा यदि मार्गदर्शन के अनुरूप ग्रेड-4 एवं ग्रेड-7 में प्रोन्नति दी जाती है, तो यह माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत होगा।

....

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय –

उपर्युक्त कंडिका-(1) एवं (2) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में अंकित निर्णय से यह आपत्ति कंडिका भी पूर्णतः आच्छादित है।

(6) श्री सुनील कुमार पाण्डेय, श्री कृष्ण कुमार झा एवं अन्य शिक्षकों से प्राप्त।

संगठन के माध्यम से कार्यालय को मात्र 01 आवेदन पत्र (पत्रांक 0 दिनांक 16.10.2023) प्राप्त हुए जिसका सारांश निम्नवत् है –

हम सभी राँची जिला के अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक है। हमने माननीय उच्च न्यायालय में वाद संख्या W.P.(S) No. 6087/2022 दायर किया गया है जो लंबित है। इसमें सरकार को अपना काउंटर Affidavit file करने की विषय में आदेश दिया गया है। इस आदेश का अनुपालन करते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक राँची के द्वारा जो काउंटर Affidavit file की गई है उसमें स्पष्ट किया गया है कि राँची जिलें में 01.08.2014 से शिक्षकों के पद रिक्त है। अतः हमारी प्रोन्नति 01.08.2014 से देय होगी, जो माननीय उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों से अच्छादित है। ऐसे में विभाग के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति न दिये जाने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय की विभिन्न आदेशों के प्रतिकूल है और अवमानना प्रतीत होता है।

हमारी प्रोन्नति को भूतलक्षी प्रभाव से न कहा जाय। यह भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति नहीं है। बल्कि विभागीय लापरवाही के कारण देर से दी गई प्रोन्नति है। विलंब से दी प्रोन्नति इस प्रकार है कि 1993 नियमावली के अन्तर्गत विभाग के प्रत्येक वर्ष नियम 05, 06, 07, 08 के अन्तर्गत कार्य संपादित करना है। प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर में वरीयता सूची का निर्माण एवं प्रकाशन करना है, जिसके आधार पर प्रत्येक वर्ष अप्रैल में प्रोन्नति दी जाती है।

यह विदित है कि वर्ष 2016 में 16 वर्षो बाद हमें प्रोन्नति दी गई है। हमारी प्रोन्नति को बाधित करते हुए हमें एक ही पद और एक वेतनमान पर स्थिर करके रखा गया है, जो कि सरासर नियम विभागीय आदेश एवं विभिन्न न्यायादेशों के प्रतिकूल है। यह दिशानिर्देश मेरे वाद संख्या W.P.(S) No. 6087/2022 के भी प्रतिकूल है।

....

निर्णय –

उपर्युक्त कंडिका-(1) एवं (2) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में अंकित निर्णय से यह आपत्ति कंडिका भी पूर्णतः आच्छादित है।

(7) श्री अरविन्द कुमार सिंह, शिक्षक प्रतिनिधि

वर्ष 1994 में नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक कक्षा 1-8 को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति पद उपलब्धता की तिथि से मिलनी चाहिए।

नियमानुसार 8 वर्षो की सेवा के पश्चात ही हमें ग्रेड-4 में प्रोन्नति मिलनी चाहिए थी। विभाग द्वारा समय पर प्रशिक्षण नहीं देने के कारण हम प्रोन्नति से वंचित रहे हैं। इसमें मेरे तरफ से कहां लापरवाही बरती गई है?

विभाग के द्वारा यदि समय से प्रोन्नति हेतु वरीयता सूची का निर्माण कर प्रोन्नति दी जाती, तो हमें भूतलक्षी प्रोन्नति हेतु कोई प्रयास नहीं करना होता।

विभाग ने भी कोर्ट के आदेश अनुपालन में नियुक्ति तिथि से ग्रेड-1 देने का निर्णय लिया गया है। तथा अन्य उच्चतर ग्रेडों में भी प्रोन्नति देने को कहा है।

Scanned with OKEN Scanner

विभागीय ज्ञापांक १५३३ दिनांक ३१.०७.२०१४ द्वारा पदों का सृजन ग्रेड-४ में किया गया है तथा ५० प्रतिशत नियुक्ति से तथा ५० प्रतिशत प्रोन्नति भरा जाना है, अर्थात् जुलाई २०१४ से ही प्रोन्नति हेतु पर्याप्त पद है।

नई नियुक्ति नियमावली बनने के पश्चात आर.टी.ई. के तहत वर्ग ६-८ के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। इनकी नियुक्ति २०१५ के दिसम्बर माह में हुई है, जबकि हमारी नियुक्ति इनसे २० वर्ष पूर्व ही हुई है। हम प्रोन्नति हेतु सभी योग्यता एवं अर्हता रखते है।

२० वर्षों की सेवा को दरकिनार कर आज कक्षा ६-८ में बहाल शिक्षकों को हमसे वरीय बनाना न्यायपूर्ण कदम नहीं है।

वित्त विभाग के नियम ७४ एवं ७८ के द्वारा भूतलक्षी प्रोन्नति देने में विभाग को परेशानी है। परन्तु पद उपलब्धता की स्थिति में विभाग के द्वारा समय पर प्रोन्नति नहीं देने के कारण यह नियम हमपर लागू नहीं है।

विभागीय आदेश संख्या ६१९(विधि) दिनांक २६.०३.२०२१ के कंडिका (IV) में भी पद उपलब्धता होने की स्थिति में वैचारिक प्रोन्नति देने का आदेश है।

४६००/- ग्रेड पेय में कक्षा ६-८ की शिक्षकों को सीधे नियुक्ति की गई है। उनकी नियुक्ति के लिए अलग से नियमावली बनी है तो प्रोन्नति नियमावली भी अलग से बनानी चाहिए थी। हाई स्कूल में भी ४६००/- ग्रेड में सीधे नियुक्ति होती है परन्तु वहाँ १२ वर्षों में प्रोन्नति दी जाती है यदि यहाँ ०५ वर्षों में प्रोन्नति दी जायेगी, तो हाई स्कूल के शिक्षक भी मांग करेंगे कि हमें भी पाँच वर्षों में प्रोन्नति दी जाय।

प्रोन्नति नियमावली १९९३ के अनुसार ग्रेड-४ में सीधे नियुक्त शिक्षक उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में करना है, जबकि प्रोन्नति हेतु योग्यता एवं अर्हता रखने वाले पर्याप्त शिक्षक हैं। कक्षा ६-८ में आर.टी.ई. के तहत नियमावली बनाकर सीधे नियुक्त की गई है। इसके लिए अलग से प्रोन्नति नियमावली बनाना चाहिए।

निर्णय –

उपर्युक्त कंडिका-(१) एवं (२) में प्राप्त आपत्ति के संबंध में अंकित निर्णय से यह आपत्ति कंडिका भी पूर्णतः आच्छादित है, सिवाय कक्षा-०६-०८ हेतु आर.टी.ई. के तहत नियुक्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों की ग्रेड-०७ के पद पर प्रोन्नति हेतु नियमावली के गठन/संशोधित नियमावली के निर्माण एवं उनकी अगली प्रोन्नति हेतु कालावधि के निर्धारण को छोड़कर।

बैठक में झारखण्ड +२ विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, २०१२ (यथासंशोधित नियमावली, २०२२ एवं २०२३), झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, २०१५ तथा झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, १९९३ के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया, जो निम्नांकित है-

(क) झारखण्ड +२ विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त नियमावली, २०१२ (यथासंशोधित नियमावली, २०२२ एवं २०२३) के नियम-११(I)(iii) के अनुसार, प्राचार्य, +२ उच्च विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु +२ उच्च विद्यालय में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में न्यूनतम् ०८ वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है एवं प्रोन्नति हेतु इससे भी अधिक की न्यूनतम् कालावधि विहित है।

(ख) झारखण्ड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवाशर्त्त नियमावली, 2015 (यथासंशोधित नियमावली, 2022) के नियम-10(I)(iii) के अनुसार, प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु उच्च विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में न्यूनतम् 10 वर्षों का तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला शिक्षकों के मामले में न्यूनतम् 07 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है, जबकि प्रोन्नति हेतु नियम-10(III)(iii) के अनुसार, उच्च विद्यालय में स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में न्यूनतम् 24 वर्षों का तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला शिक्षकों के मामले में न्यूनतम् 18 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य है, जिनकी अनुपलब्धता की स्थिति में न्यूनतम् 18 वर्षों का शिक्षण अनुभव तथा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला शिक्षकों के मामले में न्यूनतम् 15 वर्षों का शिक्षण अनुभव अनिवार्य विहित किया गया है।

(ग) झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के नियम-05(4) के अनुसार, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय के पद पर प्रोन्नति हेतु स्नातकोत्तर प्रशिक्षित ग्रेड-06 अथवा ग्रेड-05 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रेड-04 से ग्रेड-07 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड-04 में न्यूनतम् 05 वर्षों की सेवा प्रोन्नति हेतु निर्धारित है।

झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के नियम-05(2) के अनुसार, ग्रेड-04, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, मध्य विद्यालय के पद पर प्रोन्नति हेतु स्नातक प्रशिक्षित तथा ग्रेड-02 अथवा ग्रेड-03 में शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रेड-01 से ग्रेड-04 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड-01 में न्यूनतम् 08 वर्षों की सेवा प्रोन्नति हेतु निर्धारित है।

बैठक में सर्वसम्मतिपूर्वक पाया गया कि स्नातकोत्तर प्रशिक्षित +2 उच्च विद्यालय, स्नातक प्रशिक्षित उच्च विद्यालय एवं इंटर प्रशिक्षित प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को उनकी नियुक्ति के उपरांत अगली पद प्रोन्नति हेतु न्यूनतम् 08 अथवा 10 वर्षों की कालावधि विहित है, अतएव् सर्वसम्मतिपूर्वक निम्नांकित मार्गदर्शन दिए जाने एवं अनुपालन का निर्णय लिया गया -

(क) झारखण्ड राजकीयकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक प्रोन्नति नियमावली, 1993 के नियम-05(4) के अनुसार, प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय के पद पर प्रोन्नति हेतु स्नातकोत्तर प्रशिक्षित ग्रेड-06 अथवा ग्रेड-05 में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ग्रेड-04 से ग्रेड-07 में प्रोन्नति की दशा में ग्रेड-04 में न्यूनतम् 05 वर्षों की सेवा प्रोन्नति हेतु निर्धारित है, जो इंटर प्रशिक्षित पद एवं वेतनमान से स्नातक प्रशिक्षित पद एवं वेतनमान् में प्रोन्नत शिक्षकों के मामले में यथावत् रहेगा।

परंतु झारखण्ड प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2012 (यथा संशोधित, 2014 एवं 2015) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन सीधी नियुक्ति से नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित/उच्च प्राथमिक शिक्षकों के मामले में -

(i) जिनकी न्यूनतम् सेवा वरीयता सूची के निर्माण हेतु निर्धारित तिथि 31 दिसंबर अथवा प्रोन्नति दिए जाने के वर्ष के 31 मार्च

Scanned with OKEN Scanner

तक 10 वर्ष पूर्ण हो गयी हो, को ही ग्रेड-07, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय पद पर प्रोन्नति हेतु तैयार की गयी वरीयता सूची (Zone of Consideration) में रखा जायेगा।

(ii) परंतु अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु ग्रेड-7 के आरक्षित पदों के विरुद्ध प्रोन्नति हेतु, ग्रेड-4 के पदों पर प्रोन्नति से अथवा सीधी नियुक्ति के आधार पर अपेक्षित कालावधि पूर्ण करने वाले शिक्षकों के अभाव में अनुसूचित जाति/जनजाति कोटि के सीधी नियुक्ति से नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित/उच्च प्राथमिक शिक्षकों को, जिनकी न्यूनतम् सेवा 31 दिसम्बर/31 मार्च तक 10 वर्ष पूर्ण हो गयी हो, को भी ग्रेड-7, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय पद पर प्रोन्नति हेतु तैयार की गयी वरीयता सूची (Zone of Consideration) में रखा जायेगा, परंतु उनकी वरीयता ग्रेड-4 में पूर्व से प्रोन्नत शिक्षकों के उपरांत होगी।

(iii) एतद्विषयक प्रोन्नति नियमावली/समेकित प्रोन्नति नियमावली के गठन की कार्रवाई भी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से शीघ्र पूर्ण की जायेगी।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, रांची द्वारा W.P.(S) No. 4115/2021 एवं अन्य संलग्न वाद में दिनांक 26.07.2023 को पारित आदेश के अनुपालन में इंटर प्रशिक्षित पद एवं वेतनमान् से स्नातक प्रशिक्षित पद एवं वेतनमान् में प्रोन्नत शिक्षकों के मामले में उनकी लगातार 20 वर्षों (08 वर्ष + 05 वर्ष, अर्थात 13 वर्षों से अधिक) की कुल सेवा पूर्ण हो गयी हो, को मात्र एकबारीय सुविधा के रूप में प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय पद पर प्रोन्नति हेतु, स्नातक प्रशिक्षित पद एवं वेतनमान् में 05 वर्षों की न्यूनतम् कालावधि पूर्ण किए जाने की शर्त को शिथिल किये जाने के संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशालय से एतद्विषयक अधिसूचना अथवा संकल्प अथवा प्रोन्नति नियमावली, 1993 के नियम 5(4) में परन्तुक के रूप में आंशिक संशोधन निर्गत किये जाने की कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाती है कि इसका लाभ मात्र पद पर योगदान करने वाले शिक्षकों (प्रधानाध्यापकों) को उनके योगदान की तिथि से प्राप्त होगा एवं कोई भी भूतलक्षी लाभ अथवा वेतन निर्धारण में मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(i) का लाभ देय नहीं होगा। उनका वेतन निर्धारण मौलिक नियमावली के नियम-22(1)(ए)(ii) के अनुरूप होगा।

(ङ) <u>झारखण्ड प्रगतिशील शिक्षक संघ झारखण्ड प्रदेश, 9-बी. आशियाना अपार्टमेंट, हदरीश कॉलोनी, कांटाटोली, राँची, जिला- राँची, निबंधन संख्या - 348/2021</u>

झारखण्ड प्रगतिशील शिक्षक संघ के द्वारा तीन पत्र (पत्रांक 27 दिनांक 10.10. 2023, पत्रांक 28 दिनांक 13.10.2023 एवं पत्रांक 32 दिनांक 31.10.2023) प्राप्त हुआ है। उक्त पत्रों का सारांश निम्नवत् है -

विभाग द्वारा निर्गत मार्ग-दर्शन से ग्रेड-4 में एवं आर.टी.ई. अधिनियम के अनुरूप सीधी नियुक्ति से नियुक्त एवं वास्तविक रूप से विषय शिक्षकों की इन महत्वपूर्ण पदों विगत साढ़े सात वर्षों से अधिक समय से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहण करते हुए कार्यरत है, को नियमसम्मत तरीके से वरीयता सूची में स्थान मिलना सुनिश्चित हुआ है। ग्रेड-4 जैसे महत्वपूर्ण पदों पर भूतलक्षी/वैचारिक प्रोन्नति से वास्तविक रूप से कार्यरत शिक्षकों की वरीयता प्रभावित होती है।

मार्गदर्शन के क्रम संख्या 20 में 2015-16 में नियुक्त अहर्ताधारी इंटर प्रशिक्षित शिक्षकों को आगे ग्रेड-4 में प्रोन्नति के लिए वर्ग 6-8 हेतु (जे.टेट) उत्तीर्ण करने का प्रावधान रखा गया है। जो शिक्षक पहले से वर्ग 6-8 के लिए जे.टेट उत्तीर्ण है, उन्हें तो सीधे अवसर मिलेगा ही, परन्तु वैसे शिक्षक जो केवल जे.टेट (1-5) उत्तीर्ण है, उनको भी शैक्षणिक अनुभव के आधार पर अग्रेतर प्रोन्नति हेतु विचार किया जाना चाहिए।

आर.टी.ई एक्ट के अनुपालनार्थ स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के कुल सृजित 7926 पदों में से 50 प्रतिशत अर्थात 3963 पद प्रोन्नति हेतु रखे गये है। 2015-16 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के इन्ही पदों पर प्रोन्नति हेतु वर्तमान में टेट का प्रावधान नहीं है। अतः 2015-16 में नियुक्त शिक्षकों के अग्रेतर प्रोन्नति के लिए भी यह प्रावधान क्षान्त किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

मार्गदर्शन के क्रम संख्या 8 एवं 9 में अंकित है कि प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2012 के अधीन जे.टेट आधारित समेकित मेधांक पर नियुक्त स्नातक प्रशिक्षित (ग्रेड-4) शिक्षकों की पारस्परिक वरीयता नियुक्ति के समय तैयार मेधा सूची प्रविष्ट मेधा अंक के अनुरूप होगा परन्तु इसमें यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि - इन शिक्षकों की नियुक्ति 2015-16 के दौरान विभिन्न जिलों में 6 से 7 चरणों में हुए काउन्सेलिंग के माध्यम से कुल छह मेधा सूचियों (यथा - पारा विज्ञान, पारा कला, पारा भाषा, नन-पारा विज्ञान, नन-पारा कला-नन, पारा भाषा) के आधार पर हुई है। परन्तु शिक्षकों ने सभी काउन्सेलिंग के पश्चात योगदान एक ही समय पारा और नन-पारा कोटि में दिया है। अतः मेधांक को आधार बनाकर पारस्परिक वरीयता निर्धारण करने और इस आधार पर वरीयता सूची के निर्माण में कई विसंगतियाँ हो सकती हैं। इसमें अग्रेतर प्रोन्नति के दौरान आरक्षण रोस्टर के अनुपालन में भी त्रुटि होने की संभावना है। क्योंकि नियमानुसार आरक्षित कोटि के शिक्षकों को अधिक मेधांक होने के बावजूद भी अनारक्षित कोटि में नहीं लाया जा सकता है। यदि उनके पास टेट उत्तीर्णांक के लिए जो अहर्ता अनराक्षित के लिए निर्धारित है, वह उनके पास नहीं है। सनद रहे कि टेट में अनारक्षित के लिए 60 प्रतिशत (90 अंक) और आरक्षित कोटी के लिए 52 प्रतिशत (78 अंक) निर्धारित है।

इसके अतिरिक्त कई जिलों में नियुक्ति के समय ओ.बी.सी. आरक्षण था, परन्तु उसी जिलें में प्रोन्नति में यह आरक्षण नहीं है। इस परिस्थिति में यदि वहां के उक्त कोटि के शिक्षक अनारक्षित कोटि हेतु आवश्यक अहर्ताएं नहीं रखते है तो उनको प्रोन्नति सूची में कैसे स्थान मिलेगा और उनके नामों पर किस प्रकार विचार किया जायेगा। इस पर स्पष्टता लाना आवश्यक होगा। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में ग्रेड-4 से ग्रेड-7 की प्रोन्नति में जिन शिक्षकों की जिस कोटि में नियुक्ति हुई है उसी कोटि में ही प्रोन्नति देना श्रेस्कर होगा।

इनके द्वारा निम्नांकित सुझाव भी दिया गया है -

1. विभिन्न ग्रेडों में लंबित प्रोन्नति को उपरोक्त वर्णित विभागीय मार्गदर्शन के अनुरूप समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने हेतु एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को निदेशित करते हुए कैलेण्डर जारी कर एवं राज्य स्तर से निगरानी करते हुए इसे ससमय पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाय।
2. उक्त कार्य को ससमय सम्पन्न कराने से राज्य के मध्य विद्यालयों वर्तमान समय में रिक्त 95 प्रतिशत से अधिक रिक्त प्रधानाध्यापकों के पद भरे जा सकेंगे। इससे विद्यालय में गुणवत्त शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

3. जिलों में प्रोन्नति का कार्य ग्रेड–7 से प्रारंभ कर नीचे के ग्रेड में प्रोन्नति देने का विचार किया जाना चाहिए। इससे ग्रेड–4 में कार्यरत शिक्षक जब गेड–7 में प्रोन्नत हो जायेंगे तो ग्रेड–4 रिक्तियों में वृद्धि होगी और अधिक से अधिक संख्या में योग्यताधारी शिक्षकों प्रोन्नति का लाभ मिल सकेगा।

निर्णय –

उपर्युक्त कंडिका-(1), (2) एवं (7) में प्राप्त आपत्तियों के संबंध में अंकित निर्णय से यह आपत्ति कंडिका भी पूर्णतः आच्छादित है। प्रोन्नति में आरक्षण के अनुपालन तथा वरीयता सूची के निर्माण के संबंध में अंकित संशय/संभावना पूर्णतया निर्मूल है। विभागीय पत्रांक 770(विधि) दिनांक 05.10.2023 के द्वारा निर्गत मार्गदर्शन पूर्णतः समुचित एवं यथेष्ट है तथा उसमें कोई अन्य परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

09/11/2023
(शिवेन्द्र कुमार)
क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक,
पलामू प्रमंडल, मेदिनीनगर

09.11.23
(कमला सिंह)
सलाहकार,
जे.सी.ई.आर.टी.

(मसूदी टुडू)
सहायक निदेशक
(एकेडमिक),
जे.सी.ई.आर.टी.

9/XI/23
(बांके बिहारी सिंह)
सहायक निदेशक (एकेडमिक),
जे.सी.ई.आर.टी.

9/11
निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड, रांची

9/11/2023
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड, रांची

9/11/23
सचिव
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
झारखंड, रांची

Scanned with OKEN Scanner